लोक सुनवाई का वृत

मेसर्स प्रतीमा देवी, देवनियां, झाझ टोला मनसाडीह, बाराचट्टी, जिला–गया द्वारा गया जिला के **अंचल–इमामगंज, गया मोरहर–36 बालू घाट**, ग्राम–पंचतरह और पसराडीह, मोरहर नदी का क्षेत्रफल–19.40 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक–**29.09.2020** को अपराह्न 02.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, इमामगंज, जिला–गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/1053/2020, दिनांक–21.07.2020 के आलोक में **श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (वि0जा0), गया** की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाईम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक–**23.08.2020** द्वारा प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान **श्री एस. एन. झा**, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना में खनन कार्य बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि से किया जायेगा तथा इस प्रकार खनन करने से आस–पास के क्षेत्रों का भौगोलिक व पर्यावरणीय स्वरूप बना रहता है। इस परियोजना से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है जो प्रदेश के समेकित विकास के लिए आवश्यक है। इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होता है। जिनकी भर्ती में स्थानीय ग्रामवासियों को उनके अनुभव के आधार पर वरीयता दी जायेगी। खनन बेंच बनाकर किया जाता है जिसकी ऊँचाई 1.5 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर होगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बालू ढुलाई के लिए वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खादानों से अस्थायी मार्गो द्वारा जुड़ा है। इन मार्गो का रख–रखाव भी परियोजना प्रस्तावक सुरक्षित करेंगे। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा। प्रेशर हॉर्न का उपयोग वाहनों द्वारा नहीं किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल–कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू. सी. प्रमाणित होंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। बालू खनन का कार्य बहुत पुरानी विधि है परन्तु खनन क्रिया में पहले से बहुत सुधार हुआ है। खनन क्रिया पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। खनन क्षेत्र के आस–पास विस्तृत परियोजना विवरणी बनाया जाता है तथा सभी स्थितियों में वातावरण अनुकूल रहे इसका ख्याल रखा जाता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शिता के साथ खनन कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते है। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैः–

1. श्री संतोष कुमार, पिता–बैधनाथ पाठक, ग्राम–पसेवा, थाना–इमामगंज, जिला–गया द्वारा सुझाव दिया गया कि मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों का भार कम करना चाहिए। पेड़–पौधा रोपण की संख्या बढ़ानी चाहिए। खनन क्षेत्र को **बैरिकेट** करना चाहिए। खनन क्षेत्र के पास चेतावनी बोर्ड लगाना चाहिए। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना चाहिए। गाड़ियों का आना–जाना सु–व्यवस्थित बनाना चाहिए। खनन क्षेत्र का प्रभाव निर्धारित होना चाहिए।

2. श्री कामाख्या सिंह, पिता–राधे श्याम सिंह, ग्राम–इमामगंज, जिला–गया द्वारा सुझाव दिया गया कि जल छिड़काव आवश्यक रूप से कराया जाना चाहिए। खनन कार्य की निर्धारित समय होना चाहिए।

3. श्री पंकज कुमार सिंह, पिता–श्री नारायण प्रसाद सिंह, ग्राम–बलथरवा, बाँकेबाजार, जिला–गया द्वारा पूछा गया कि वाहनों की आवागमन से सड़क खराब हो जाता है एवं बालू उठाव से नदी का तटबंध को नुकसान होता है।

उत्तर–. पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि सड़क मरम्मत की जिम्मेवारी पट्टाधारक की होगी। बालू का उठाव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा जिसमें खनन कार्य नदी के तटबंध से 5 मीटर छोड़कर किया जायेगा।

सहायक पर्यावरण अभियंता, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ–ही–साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जायेगा ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोंगो की शिकायतों का पूर्ण रूप से निष्पादन किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा सभी नियम एवं शर्त्तो का पूर्ण रूप से पालन कराया जायेगा। खनन कार्य से पर्यावरण को कोई क्षति न हो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने–जाने के समय या भीड़–भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

29-9-20.

सहायक पर्यावरण अभियंता
बि0.रा0.प्र0.नि0.पर्षद, गया।

29/9/20

अपर समाहर्ता (वि0जा0)
गया

उपस्थिति सूची

मे० प्रतीमा देवी, बाराचट्टी द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल–इमामगंज के मोरहर नदी पर मोरहर घाट–36 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, इमामगंज, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 29.09.2020 (मंगलवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संतोष कुमार श्रीवास्तव	अंचल अधिकारी इमामगंज गया	[illegible] 29/9/20
2.	शत्रुघ्न नाथ झा सहायक कार्यपालक अभियंता	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[illegible] 29-9-20
3.	जय किशन	BDO इमामगंज	[illegible] 29.9.20
4.	Dr. Jatin Kr. Srivastava Consultant	Lucknow-226017 UP	Jatin Kumar 29/09/2020
5.	Er. Nitish Kumar,	Phulwari Sharif, Patna	Nitish Kr.
6.	राजेश कुमार	ग्रा०-परसेवा पो०-इमामगंज गया	Rajesh Kumar
7.	Shambhu prasad	Imamganj	[illegible]
8.	राजकुमार यादव	बाराचट्टी	[illegible]
9.	मो० खुर्शीद आलम	उमान मंझौली	खुर्शीद आलम
10.	Pankaj Kumar	At:- Baltharwa PO+PS - Bankey Bazar	Pankaj Kumar
11.	दीपक कुमार	At Baltharwa	Deepak K.
12.	Brajesh Kr.	At. Baltharwa	Brajesh Kr.
13.	Balchand Yadav	Vill. Bageya.	Balchand Yadav
14.	Kamlesh Yadav	Nawadi	Kamlesh Yadav
15.	[illegible] राउत	बिशनपुर	[illegible]

15.	Brajesh Kr.	At. Balthaswa	Brajesh Kr.
16.	Javed Khan	Kujesh	Javed Khan.
17.	Dhananjay Kumar	Bathrwa	Dhananjay [illegible]
18.	Praveen. Kumar	Baltharwa	Praveen Kr
19.	रंजीत कुमार	बलथरवा	Ranjeet
20.			
	Pramod Kumar	Bale Kharm	Pramod Kumar
21.	कपिल कुमार	नवादिह	कपिल कुमार
22.	रामदुलार मुखिया	कोसमा	Ram
23.	मो० वाहाबुद्दीन अंसारी	मंमो कोठी	[illegible]
24.	रविन्द्र कुमार	कादिरगंज	R
25.	रामरतन रमण	मल्हारी	Rm
26.	[illegible]	कुजेसर	[illegible]
27.	राजकुमार रिकियासन	कुजेसर	[illegible]
28.	कृष्णा नारायण	मल्हारी	कृष्णा नारायण
29.	नरेश वर्मा	पकरी गुरिया	नरेश वर्मा
30.	वीरेन्द्र शर्मा	patna	वीरेन्द्र शर्मा
31.			
32.			
33.			
34.			